

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:--स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1438 /2023


दिनांक : 12.05.2023

श्री राजेश शर्मा-II(RJ00416), विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर को दिनांक 29.05.2023 से 03.06.2023 तक 06 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 04.06.2023 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री शर्मा-II की अनुपस्थिति में न्यायाधीश, डेजिग्नेटेड कोर्ट, अजमेर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:--स्था.बी.2(4)/07/2002/3142

दिनांक : 12.05.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर को उनके पत्रांक 66 दिनांक 29.04.2023 के सन्दर्भ में।
3. श्री राजेश शर्मा-II(RJ00416), विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
4. न्यायाधीश, डेजिग्नेटेड कोर्ट, अजमेर।


सहायक रजिस्ट्रार